

CHAPTER 7

Resignation, Retirement, Posting, Transfers & Transfer Policy

1. Resignation

- 1.1. The authority empowered to make an appointment is solely empowered to accept resignation there from.
- 1.2. A month's notice to resign is necessary.
- 1.3. Conditional resignations shall not be accepted.

2. Recruitment

- 2.1. Age of retirement in case of RFS officer is 60 years.
- 2.2. Age of retirement in case of State Service, Subordinate Service and Ministerial Service and Class IV Service employees is 60 years.
- 2.3. Under Rule 50(1) of Rajasthan Civil Service (Pension) rules, 1996 any official who has completed 15 years of qualifying service or attained 50 years of age can seek voluntary retirement by giving 3 months notice appointing authority can do away with the necessity of 3 months notice.
- 2.4. Under Rule 53(i) of Rajasthan Civil Services (pension) Rules, 1996 any official who has completed 15 years service or 50 years of age can be considered for compulsory retirement and on found unsuitable for keeping in Govt. Service can be compulsory retired by appointing authority in public interest.

3. Pensions and Provident Fund Rules

- 3.1. Pension and other pensionary benefit in retired Govt. Servant is governed by Rajasthan Civil Servants (pension) Rules, 1996.

4. Postings and Transfer of IFS/RFS

- 4.1. The following Schedule shows the authorities empowered in the order of Postings and Transfers:

S.No.	Official (Cadre)	Authority	Competent to transfer
1.	IFS Officers	State Government	Deptt. of Personnel
2.	RFS Officers	State Government	Forest Department

5. Postings Transfers of Subordinate & Ministerial & Class IV staff

- 5.1. The authorities empowered to postings and transfers of subordinate, Ministerial & Class IV staff is as under:
- 5.2. The State Government has enunciated a policy¹ for effecting transfers officers, Forest Subordinate Service officers/officials, Ministerial and Class IV employees.
- 5.3. Posting transfer from jurisdiction of one authority to another will be issued by the next higher authority.
- 5.4. In cases involving transfer of persons, who have been at one place of postings for less than two years prior approval of next higher authority will be taken².
- 5.5. The State Government has issued detailed instructions³ on the subject of leaving a Charge Note at the time of relinquishing his charge at the time of his transfer or otherwise. This is necessary because the new officer has to spend a good deal of time in picking up threads of important matters which should receive his urgent attention in the absence of a Charge Note. The instructions of the Government require the outgoing officer to prepare a charge note for his successor in which all important facts affecting the current or proposed operation should be mentioned. This is necessary to enable the successor officer to carry on the duties of which he has taken charge in an efficient manner with as complete knowledge of things as possible. The subjects, to which attention should be specially directed in the charge note are progress in the collection of departmental Revenues, Liabilities of the Department, works in progress, plantation and afforestation schemes, demarcation and maintenance of boundaries, contractors' work, fire protection, pending accounts and objection statements, any special forest offences to which local population or any habitual offenders are addicted.
- 5.6. The placing of one's experience of a charge unreservedly at the disposal of his successor requires a continuity of confidence that whatever the views of the successor may be, he will not let down his

1. Pa12(2)Van/2004 dated 20-04-2011.

2. GO No. D./3097/F(4)GA/A/55 dt. 5.3.1955

3. GO No. F.2(228)GA/A/2dated 25.2.1953

predecessors by divulging the secret notes. It would be, therefore, considered unprofessional for any officer either to keep back from his successor important matters of interest or to divulge the predecessor's note even informally. In the Confidential Charge Notes one officer speaks to the other freely, frankly and with the utmost confidence. It is important that this aspect of the problem may be kept in view and at no stage should the contents of the Secret Charge-Note be allowed to leak out, or be quoted.

- 5.7. Every Officer, who leaves a Division/Region of which he has been incharge for more than a year on transfer, furlough or retirement, should record, for the use of his successor, a careful and exhaustive memorandum containing all point of which it is important that his successor should be kept informed. The remarks will be recorded in a confidential book to be kept for the purposes, additions being made by each successive officer, who shall have held charge of the District/Region for the prescribed term. An officer, whose tenure of charge has not exceeded one year, should record a similar memorandum if he is in possession of information, which will in his opinion prove of value to his successor.
- 5.8. If the officer is likely to return to the post from which he proceeds on Privilege Leave, he need not leave an exhaustive memorandum for his locum tenens but should note the chief administrative points likely to require attention during his absence. If it is intended to transfer an officer who is availing himself of Privilege Leave, notice of the intention of Government to transfer him will be communicated to the officer in due course, and he should record a full memorandum before he makes over charge of his office.
- 5.9. These instructions apply to all Heads of Departments and to Department Officers holding independent charge in District or Divisions.

6. Transfer Policy

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक प. 12(2)वन/2004

दिनांक 20/04/2011

स्थानांतरण/पदस्थापन नीति

राजस्थान राज्य वन सेवा एवं राजस्थान अधिनस्थ वन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों तथा वन

विभाग के अधीन कार्यरत मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण बाबत निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :-

1. पदस्थापन

- 1.1 प्रत्येक अधिकारी / कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी / कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।
- 1.2 अधिकारी / कार्मिक के किसी एक पद विशेष पर पदस्थापन की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।
- 1.3 राजपत्रित अधिकारी एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारी को उसके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :

- (i) गृह जिले से तात्पर्य निम्नानुसार होगा :-
 - (क) राजपत्रित अधिकारियों एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के कार्मिकों के संदर्भ में अधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जिला।
 - (ख) अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त), मंत्रालयिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के संदर्भ में प्रथम नियुक्ति का जिला।
- (ii) वन विभाग के राज्य स्तरीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों/संभागीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कार्यालयों/वानिकी प्रशिक्षण/अनुसंधान कार्यालय में सृजित पदों पर पदस्थापन के लिए निम्न शर्तों के अधीन यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा :-
 - (क) गृह जिले में पदस्थापित होने वाले अधिकारी / कार्मिकों की संख्या उस जिले में कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 - (ख) गृह जिले में पदस्थापन हेतु सर्वप्रथम वरिष्ठता, उसकी गत 5 वर्षों की सेवा प्रतिवेदन रिपोर्ट (जिसमें कम से कम 4 ए0सी0आर0 उत्कृष्ट/बहुत अच्छा होना आवश्यक होगा) तथा इसके अलावा चिकित्सा/पारिवारिक विषमताओं के आधार पर ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
 - (ग) गृह जिले में पदस्थापन का अधिकार प्रशासनिक विभाग को रहेगा कि प्रकरण दर दर (case by case) आधार पर आवेदनों में से निर्धारित किया जावेगा।

4. Substituted vide G.O. No Pa.12(2)Forest/2004 dated 13/09/2012 {(i) गृह जिले से तात्पर्य निम्नानुसार होगा :- (क) राजपत्रित अधिकारियों एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के कार्मिकों के संदर्भ में अधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जिला। (ख) अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त), मंत्रालयिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के संदर्भ में प्रथम नियुक्ति का जिला। (ii) वन विभाग के राज्य स्तरीय मुख्यालय में सृजित पदों पर पदस्थापन के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।}

- 1.4 राजपत्रित अधिकारी को सेवानिवृत्ति समयावधि दो वर्ष से कम रहने की स्थिति में उसके द्वारा प्रार्थित जिले में (गृह जिले को छोड़कर) पदस्थापित किये जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा।
- 1.5 अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त) के कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, ड्राईवर एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों को यथासम्भव उनकी प्रथम नियुक्ति वाले जिले से अन्यत्र जिले में पदस्थापन स्थानान्तरण संबंधी नीतिगत व्यवस्था के अनुसार ही किया किया जा सकेगा।
- 1.6 किसी भी अधिकारी/कार्मिक को ऐसे पद पर जिस पर वह पूर्व में पदस्थापित रह चुका है, उसे यथासम्भव पुनः पदस्थापित नहीं किया जावेगा।
- 1.7 राजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्ति समयावधि दो वर्ष रहने पर फील्ड में पदस्थापन नहीं किया जावेगा।
- 1.8 वन रक्षक, सहायक वनपाल एवं वनपाल को एक ही रेंज में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रखा जा सकेगा एवं उसी रेंज में दुबारा पदस्थापन न्यूनतम पांच वर्ष के अंतराल के बाद ही किया जा सकेगा।
- 1.9 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दण्डित अधिकारियों / कार्मिकों को तीन वर्ष तक फील्ड पोस्टिंग के पद पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा।
- 1.10 जिन अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अधीन Prosecution Sanction का प्रकरण विचाराधीन हो या Prosecution Sanction दे दी गयी हो, उन्हें फील्ड पोस्टिंग में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।
- 1.11 जो अधिकारी / कार्मिक 3 वर्ष से लगातार नॉन फील्ड कार्यालयों में पदस्थापित रहे हैं, उन्हें फील्ड पोस्टिंग में पदस्थापन करने के लिए वरीयता दी जायेगी।
- 1.12 सहायक वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक जो लगातार 10 साल में से 7 साल से फील्ड में पदस्थापित हैं, उन्हें नॉन फील्ड में पदस्थापित किया जायेगा।
- 1.13 वन्यजीव प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को यथा सम्भव वन्यजीव प्रभाग के पदों पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
- 1.14 पदोन्नति पर पदस्थापन करते समय प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का मुख्यालय अवश्य परिवर्तित किया जायेगा।
- 1.15 नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदी परियोजना के अंतर्गत एक बार पदस्थापित रह चुके गैर अभियंता/तकनीकी संवर्ग के भू-संरक्षण अधिकारी व अन्य अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को दुबारा ऐसी परियोजना में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

- 1.16 मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के पदस्थापन में इस प्रकार की व्यवस्था की जावेगी (रोटेट किया जावेगा) कि प्रत्येक कार्मिक को हर प्रकार के कार्यों के निष्पादन का अनुभव प्राप्त हो सके।
- 1.17 यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हों तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में यथा सम्भव एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जावेगा।
- 1.18 मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिक को भण्डारपाल अथवानिरंतर 3 वर्ष से अधिक अवधि हेतु पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

2. स्थानान्तरण

किसी भी अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व निम्न परिस्थितियों में ही स्थानान्तरण जावेगा:—

- 2.1 पदोन्नति या पदावनति होने पर।
- 2.2 कार्य/आचरण बाबत शिकायत प्रथमदृष्टया सही पाये जाने पर।
- 2.3 प्रशंसनीय कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप अधिकारी/कार्मिक को प्रोत्साहित करने के लिए उसके आवेदन पर।
- 2.4 रिक्त पद भरने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता उत्पन्न होने पर।
- 2.5 पद समाप्त हो जाने पर।
- 2.6 सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम की अवधि शेष रहने पर, यदि अधिकारी/कार्मिक द्वारा आवेदन किया जाता है।
- 2.7 अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त) के कार्मिक को उसके प्रथम नियुक्ति के जिले से अन्य जिले में निम्न परिस्थितियों में ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा:—

(क) उसके द्वारा आवेदन किये जाने पर वशर्तें उसी संवर्ग में रिक्त पद उपलब्ध हो एवं कार्मिक के पदस्थापन से संबंधित जिले में प्रचलित रोस्टर में आरक्षण की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो।

(ख) कार्य / आचरण बाबत प्रथम दृष्टया विश्वसनीय शिकायत पर।

(ग) रिक्त पद भरने के लिए अत्यावश्यक प्रशासनिक स्थिति उत्पन्न होने पर वशर्तें पदोन्नति संबंधी रोस्टर दुष्प्रभावित नहीं होता हो।

- 2.9 डाइवर तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों पारस्परिक स्थानान्तरण संबंधित कर्मचारियों के द्वारा आवेदन पत्र देने की अवस्था में हो सकेंगे।

3. स्थानान्तरण की सक्षमता :

विभिन्न स्तर के अधिकारियों / कार्मिकों का स्थानान्तरण आदेश प्रचलित किये जाने हेतु सक्षमता निम्नानुसार होगी :—

क्र.	नाम सेवा	नाम पद	स्थानान्तरण आदेश प्रचलित किये जाने हेतु सक्षम स्तर	
1	राजस्थान वन सेवा	सभी पद	राज्य सरकार में प्रशासनिक विभाग वन विभाग के स्तर से	
2	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा	क्षेत्रीय प्रथम	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर द्वारा प्रचलित किये जावेंगे।	
3	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा	क्षेत्रीय द्वितीय	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर द्वारा प्रचलित किये जावेंगे।	
4	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा	भू संरक्षण कनिष्ठ, ओवरसियर, अमीन, ड्राफ्टमैन, चालक, अवलोकक विश्लेषक	सहायक, अभियंता, सर्वेयर, निरीक्षक, वाहन साद एवं	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर द्वारा प्रचलित किये जावेंगे।
5	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा	वन अधीनस्थ सेवा के उपरोक्त क्रमांक 3, 4, 5 के अतिरिक्त अन्य पद	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश प्रचलित कर सकेंगे। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के केस में स्थानान्तरण आदेश उक्त दोनों कार्यालयों के नियंत्रण /उच्च अधिकारी द्वारा प्रचलित किये जावेंगे।	
6	मंत्रालयिक सेवा	कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर	
7	मंत्रालयिक सेवा	शीघ्रलिपिक, वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सभी मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण आदेश प्रचलित कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर के स्तर से प्रचलित किये जावेंगे।	

8	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	सभी संवर्ग	सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश प्रचलित कर सकेंगे। एक कार्यालयाध्यक्ष से दूसरे कार्यालयाध्यक्ष के क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश उक्त दोनों कार्यालयों के नियंत्रण/उच्च अधिकारी द्वारा प्रचलित किये जा सकेंगे।
---	----------------------	------------	---

4. स्थानान्तरण के लिये आवेदन की व्यवस्था :

- 4.1 स्थानान्तरण के इच्छुक कर्मचारी इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि में आवेदन सक्षम अधिकारी को निर्धारित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
- 4.2 प्राप्त आवेदनों पर विभाग में उपलब्ध रिक्तियों एवं राज्यकर्मों की कार्य दक्षता एवं उपर वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखकर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लिया जावेगा।
- 4.3 जिन प्रकरणों में पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उनमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपनी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को भेजेंगे।
- 4.4 यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश से पीड़ित हो तो वह आदेश जारी की तिथि से 15 दिवस की अवधि में राज्य सरकार/सम्बन्धित अधिकारी को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

5. स्थानान्तरण का समय :

- 5.1 सामान्यतः प्रतिवर्ष स्थानान्तरण का कार्य 15 अप्रैल से 31 मई तक पूर्ण कर लिया जावे।
- 5.2 इसके उपरान्त स्थानान्तरण विशिष्ट परिस्थितियों तथा पदों की समाप्ति, शिकायतन, विशिष्ट पदों को भरने एवं अन्य विशिष्ट कारण अंकित करते हुये ही सक्षम अधिकारी से उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किये जा सकेंगे।
- 5.3 1 जून से 30 सितम्बर तक वृक्षारोपण मौसम के दौरान विभाग में पौधारोपण से संबंधित स्टाफ के स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से स्थाई प्रतिबन्ध रहेगा।
- 5.4 प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के समय फरवरी, मार्च में भी विशिष्ट परिस्थिति में ही स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

6. विशेष परिस्थितियों में छूट :

- 6.1 स्वयं या परिवार के सदस्यों की असाध्य बीमारी के ईलाज की आवश्यकता या ऐसी विशेष परिस्थिति जिसमें सहानुभूति पर आधारित पदस्थापन/

स्थानान्तरण अपेक्षित हो, इस नीति की व्यवस्था में छूट देते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकेगा।

- 6.2 राज्य सरकार द्वारा किसी राज्यकर्मि (अधिकारी/कर्मचारी) का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।

यह नीति आदेश प्रचलित होने की तिथि से बाद जारी होने वाले स्थानान्तरण आदेशों के लिये प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव, वन